न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 49/2018

1–शंकर पुत्र रामेश्वर जाति हरिजन निवासी सारड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का सारड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर।

2– तहसीलदार लाडनूं जिला नागौरं राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री विकास ठोलिया,श्री हाकम अली खॉ, विक्रम कुड़ी अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.07.2018 मुकदमा संख्या 56/2017 किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 न्यायालय तहसीलदार लाडनूं जिला नागरौर राज0 पीठासीन अधिकारी आदुराम मेघवाल आर.टी.एस. द्वारा राज0राज्य बनाम शंकर में पारित किया गया ।

निर्णय

दिनांक:22.02.21

{1} – यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 56/2017 बअनुवान सरकार बनाम शंकर में पारित निर्णय दिनांक 20.7.2018 के विरूद्ध पेश किया है। मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सारडी ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम सारड़ी के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.06 बीघा किस्म गै0मु0 गौचर पर मकान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

पक्का निर्माण बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस तामिल सुदा होकर प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुमताज खान ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। बार बार आवाज लगवाने के बावजुद भी अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित रहे, ऐसी स्थिति में बेदखली की एक मात्र विकल्प हैं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किये जाने पर अप्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बेखुबी साबित होता है। मौजा सारड़ी के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.06 बीघा किस्म गैर मु0 गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 कि धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन है जो अतिक्रमण की श्रैणी में आता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा सारड़ी के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये, तथा संवत 2074 की वार्षिक लगान दर 0.55 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 09/– अक्षरे नौ रूपये कायम किया गया। अप्रार्थी से जुर्माना वसुली हेतु पटवारी हल्का भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तराले सूचित हो।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 20.08.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 20.08.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु लिखा गया। अधिनस्थ न्यायालय का पत्रांक राजस्व/2018/1184 दिनांक 24.8.2018 द्वारा रिकोर्ड इस न्यायालय का प्राप्त हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 56/17 की प्रमाणित फोटोप्रति, पटवारी हल्का रिपोर्ट की प्रमाणित फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित फोटोप्रति, नोटिस, की फोटोप्रति पेश की।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश अधीन अपील पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों कि पालना नहीं कि है जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के चुनौतिग्रस्त निर्णय से भी प्रमाणित है।

{2}(2) – यह है कि उपरोक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का जवाब पेश करने का साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिये वगैर अपीलार्थी कि अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित किया गया है एवम विद्वान अधीनस्थ न्यायालय कि आदेशिका दिनांक 20.07.2018 से भी यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20.07.18 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(3) – यह है कि अपीलार्थी ग्राम सारड़ी का स्थाई निवासी है तथा ग्राम मौजा सारड़ी के खसरा नम्बर 131 में पक्का मकान बनाकर लम्बे समय से अपना जीवन यापन कर रहा है। अपीलार्थी के पास उक्त मकान के अलावा किसी भी प्रकार का आवासीय मकान नहीं है। अपीलार्थी उक्त खसरा में आवासीय परियोजन से रह रहा है जिसने अपने मकान में विद्युत कनैक्षन भी ले रखा है बिजली के बिल की फोटो प्रति अपील के साथ पेश है।

{2}(4) –यह है कि हल्का पटवारी सारड़ी ने एक रिपोर्ट दिनांक 27.09.2017 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कि हल्का पटवारी कि रिपोर्ट पर दिनांक 14.11.2017 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में भी काट छांट की हुयी हैं, जिससे स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने बिना मौका निरीक्षण किये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अनुमान के आधार पर रिपोर्ट की सत्यता पर कोई गौर नहीं किया है इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20.07.2018 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(5) – यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये वगैर व अपीलार्थी का जवाब व साक्ष्य लिये वगैर तथा हल्का पटवारी की भी साक्ष्य लिये वगैर किया गया है इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 20.07.2018 अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का सारडी की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक सारड़ी द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम सारड़ी, के खसरा नम्बर 131 रकबा 0.06 बीघा किस्म गौचर पर सवंत 2074 से पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद तामील होने से उसके अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काफी समय देने व बार बार आवाजें लगाने के उपरान्त भी अधिवक्ता व अपीलार्थी/अप्रार्थी अनुपस्थित रहें। जिससे यह साबित होता है कि अपीलार्थी/अप्रार्थी जानबुझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुवे। अतः यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अप्रार्थी को को समुचित अवसर देकर निर्णय किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 गौचर की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट/अप्रार्थी ने विद्युत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

विभाग के बीजली कनैक्शन के बिल पेश कर यह कथन किया है कि उसका मकान काफी सालो से बना है, तो यह भी गलत है कि जिस भूमि पर अप्रार्थी ने मकान बनाया हुआ है वह भूमि गै0मु0 गौचर राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता यह भूमि प्रतिबन्धित है। इसलिए विद्युत विभाग द्वारा किया गया विद्युत कनैक्शन अवैध है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नहीं होता हैं

:::: आ दे श ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2018 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)